

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 03/2020

निर्णय दिनांक 31.03.2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर –प्रार्थी
बनाम

दामोदर पुत्र गणेशाराम कौम जाट साकिन छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर– अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ़(ए) ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी दामोदर पुत्र गणेशाराम कौम जाट साकिन छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने चक 1 सी.एच.डी (ए) द्वितीय के मु.न. 201/12 कि.न. 03 ता 20 = 18.00 बीघा, कि.न. 21/1= 0.18, 22/1=0.18, 23/1= 0.18, 24/1= 0.18, 25/1= 0.18 कुल 2.10 कुल तादादी 20.10 अनकमाण्ड अराजीराज भूदान भूमि पर कृषि सम्वत् 2076 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गेहूँ, सरसो, तारामीरा (गेहूँ = 10.00 बीघा, सरसो= 8.00 बीघा, तारामीरा = 2.10 बीघा) की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 31.03.2020 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) के द्वारा दिनांक 18.03.2020 को फसल कुर्क कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, फर्द कुर्की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली दिनांक 31.03.2020 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 205/-अक्षरे दो सौ पांच रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। वर्तमान में विश्वस्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ यू.एन.ओ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया गया है। जिसके कारण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू किया गया है एवं श्रीमान जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट महोदय, बीकानेर द्वारा धारा 144 बीकानेर जिले में लागू की गई है, धारा 144 के तहत 5 व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स रखने हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। अतः लॉकडाउन, धारा 144, कोरोना वायरस के संक्रमण की एडवाईजरी के मध्यनजर रखते हुये कुर्कशुदा फसल की सार्वजनिक निलामी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि फसल को कुर्क किया जा चुका है, राजकोष को हानि ना हो इसलिये राजहित में भू.अ.निरीक्षक छतरगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल की कुन्ता बाजार भाव से तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक

छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक

छतरगढ़ (बीकानेर)

